न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 121/2023

अनवान : –

1. विजयसिंह पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
2. इन्द्रपाल पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
3. पूर्णराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर ।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर।
3. कमला
4. कृष्णा
5. बाधोदेवी
6. रोशनी

(3 से 6) } पुत्रीयान रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

7. दिलावर पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
8. बुधराम पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
9. मनोहरलाल पुत्र बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
10. विद्या देवी पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
11. सरला देवी पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
12. मुकेश पुत्र विमला पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
13. मन्जु पुत्री विमला पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
14. ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
15. गुसाईराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
16. बलवान पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
17. हरिराम पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
19. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 19/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 149 के साबिका ख.न. 160 की मीन् की 39.19 बीघा भूमि खता ख.न. 234 मिन की 48. बीघा, साबिका ख.न. 261 की मिन की 11.05 बीघा, साबिका ख.न. 267 की 53.08 बीघा भूमि, साबिका ख.न. 271 मिन की 83.17 बीघा भूमि ख.न. 552 / 154 की 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि साबिका ख.न. 544/81 की 26 बीघा कुल 7 खसरेजात की 257 बीघा 6 बिस्वा खाम भूमि स्थित थी जिसके चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। एवं रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 28 के [illegible] ख.न. 382 की 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के [illegible] ख.प. 511 की 11.17 बीघा भूमि स्थित थी जिसके चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायलान के दादा चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर के निवासी थे तथा वादग्रस्त भूमि सायलान के दादा के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी तथा सायलान के दादा चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा चन्दुराम पुत्र गणपत के पांच पुत्रगण काशीराम, मगनीराम, चेतनराम, सहीराम एवं हरदयाल हुऐ तथा जिनमें से काशीराम व मगनीराम चेतनराम सहीराम एवं हरदयाल फौत हो चुके है एवं काशीराम के वारिस सायल सं. 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं. 31 है तथा मंगनीराम के वारिस सायल सं. 2 एवं दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 26 ता 28 है एवं मगनीराम का एक लड़का महेन्द्रपाल फौत हो चुका है जिसके वारिसान दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिकीदगण सं. 29 ता 30 है तथा मृतक चेतराम के वारिसान सायल सं. 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं. 19 है एवं मृतक हरदयाल के वारिसान गैरसायलान सं. 14 ता 17 है एवं मृतक सहीराम के विधिक उतराधिकारी गैरसायलान सं. 1 ता 13 है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के विधिक उतराधिकारी है। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के साबिका ख.न. 405, साबिका ख.न. 382, साबिका ख.न. 234, साबिका ख.न. 259, साबिका ख. न. 271, साबिका ख.न. 271 साबिका ख.न. 161, साबिका ख.न. 160 की कृषि भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल ख.न. 700, ख.न. 683, ख.न. 619, ख.न. 620, ख. न. 610, ख.न. 609, 523, ख.न. 524, ख.न. 493 ख.न. 489 ख.न. में परिवर्तित एवं पैमुद हो चुकी है। वादग्रस्त कृषि भूमि सायलान के दादा चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज चली आ रही है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर की निकाली हुई कृषि भूमि थी। तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि में से साबिक ख.न. 160 की 22.15 बीघा, हाल ख.न. 493 की 5.7540 हैक्टर भूमि, एवं साबिक ख.न. 161 की हाल ख.न. 489 की 30.12 बीघा, पर सायलन एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण गैरसायलान सं. 1 ता 17 के कब्जा में चली आ रही है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि सम्बत 2008 से 2011 से लेकर पूर्व में सायलान के दादा चन्दुराम पुत्र गणपत खातेदार थे। एवं उनकी फौतदगी के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि के सायलान एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण भी वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हुए। वादग्रस्त कृषि भूमि सायलान के दादा चन्दुराम पुत्र गणपत की अर्जित एवं नौतोड़ एवं पैदा कर्दा कृषि भूमि थी परन्तु गैरसायलान सं. 1 ता 17 ने वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि में सायलान एंव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा था परन्तु वादग्रस्त कृषि भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 17 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि सायलान अपने कब्जा काश्त की भूमि अपना हक व हिस्सा दर्ज नही होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 273/151 के ख.न. 493 की 5.7540 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 379/353 के ख.न. 620 की 9. 6110 हैक्टर भूमि में सायल सं. 1 एव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 19 ब.हि. ब. के 1/5 हिस्सा सायल सं. 2 एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 26 ता 28 ब.हि.ब. 4/25 हिस्सा एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 29 ता 30 ब. हि.ब. 1/25 हिस्सा, सायल सं. 3 एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 31 ब.हि. ब. 1/5 हिस्सा, गैरसायलान सं. 1 ता 2 प्रत्येक 1/20 हिस्सा, गैरसायलान सं. 3 ता 8 ब.हि.ब. 1/20 हिस्सा, गैरसायलान सं. 9 ता 13 ब.हि.ब. 1/20 हिस्सा, गैरसायलान सं. 14 ता 16 ब.हि.ब. 1/10 हिस्सा, गैरसायल सं. 17 अकेला 1/10 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा इन्ही आशयों की सायलान न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 17 अकेले के नाम दर्ज है तथा गैरसायलान सं. 1 ता 17 वादीगण से पारिवारिक कारणो से नाराज है तथा सायलान को उनकी सहदाय की कृषि भूमि में उसके पैदायशी हक व हिस्से की भूमि नही दे रहे है तथा गैरसायलान सं. 1 ता 17 अपने नाम से दर्ज भूमि को अन्तरित करने पर आमादा है तथा सायलान को कब्जा से बेदखल करने पर उतारू है तथा सायलान की आजिविका का जरिये उक्त कृषि भूमि है यदि गैरसायलान सं. 1 ता 17 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही है, अतः सायलान गैरसायलान सं. 1 ता 17 के खिलाफ जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक रिकार्ड एवं मौका की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स स0 273/251 के ख0न0 493 की 5.7540 हैक्ट व खाता स0 379/353 के ख0न0 620 की 9.6110 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण स0 1 ता 17 उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1, 2, 7, 9 व 14 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायलान द्वारा बिमला को बन्ताराम का वारिस दर्शित किय गया है जबकि बिमला राजकुमार की वारिस है जिसका देहान्त हो चुका है एवं विमला के वारिस मुकेश व मन्जु है सायलान द्वारा सजरा खानदान अधूरा व गलत दर्शाया गया है। अप्रार्थी स0 1 ता 17 को उक्त भूमि अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है एवं अप्रार्थी के पूर्वजों को सम्वत 2012 से पूर्व के काश्तकार दर्ज होने की हैसियत से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तो के अनुरूप खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खता स0 268/255 की कुल 11.8110 हैक्ट भूमि में गैरसायल के हक में दस्बरदारी पंजीयन दिनांक 24. 01.2006 को तस्दीक करवाई गई है जिसमें सायल स0 1 ने स्वयं बतौर गवाह पेश होकर हस्ताक्षर किये थे। प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत 2008 ता 11 की जमाबंदी में चन्दु पुत्र गणपत को काश्तकार दर्ज होना बताकर यह स्थगन प्राप्त किया गया है जबकि ख0न0 160 में सहीराम पुत्र चन्दु काश्तकार था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिजनेबल ग्राउण्ड पर आधारित नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में [illegible]ण के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि सम्वत 2008 ता 20[illegible] सायलान के दादा चन्दुराम पुत्र गणतराम के नाम दर्ज थी जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु हुआ तब गिरदावरी के आधार पर सहीराम पुत्र चन्दु के नाम बतौर खातेदारी भूमि दर्ज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2008 ता 11 में उक्त भूमि चन्दु वल्द गणपत के नाम दर्ज थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत 2012 के मुताबिक उक्त भूमि की गिरदावरी में सहीराम पुत्र गणपत का नाम दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तबरदारी दिनांक 24.01.2006 में प्रार्थी विजयसिंह बतौर गवाह है यानि की प्रार्थी विजय कुमार सहमत थ। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र पेश किया जाकर कथन किया गया है कि सजरा खानदान अधूरा व अस्पष्ट है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि सम्वत 2012 में खातेदार काश्तकार होने के कारण स्वयं की भूमि है जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सम्वत 2012 से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम भूमि दर्ज रही है यह तथ्य वाद में तय किया गया है कि वाद भूमि का उदगम श्रोत क्या रहा है उक्त बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूतों एवं तनकीआत के विवेचन के आधार पर तय होना है कि उक्त भूमि पैतृक है या अप्रार्थीगण की स्वयं अर्जित भूमि है। उक्त बिन्दु साक्ष्य सबूतों एवं तनकीआत के आधार पर मूल वाद में निर्णित होना है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सगे भाई व बहिन है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 88/88 की कुल 4.1240 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested